कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 32/2018 दिनांकः– 4-5-2018

:: निर्णय /डिकी ::

श्री नाथूसिंहि किशोरसिंह, अमरसिंह, लालसिंह, पिता नाहरसिंह ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत केम्प पुनाली में उपस्थित होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। खातेदारों द्वारा ग्राम वाडापुनाली की सम्वत 2071–74 की प्रमाणित प्रति बटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं लगान दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्सें को पृथक–2 रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया गया । बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारे की अनुशंषा की गई।

ग्राम वाडापुनाली पटवार हल्का पुनाली की जमाबंदी संवत् 2071–74 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 76 नई खसरा नं0 114/1, 475/1, 526, 720, 741, 742, 743, 749, 750, 751, 753, 755, 757/1, 759, 761, 762, 764, 768, 770, 771, 774, 776, 777, 790, 804/1, किता 25 योग रकबा 22 बीधा 04 बिस्वा में श्री नाथूसिंहि किशोरसिंह, अमरसिंह, लालसिंह, पिता नाहरसिंह नि0 वाडापुनाली सहखातेदार है। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम वाडापुनाली के खाता संख्या 76खसरा नं0 114/1, 475/1, 526, 720, 741, 742, 743, 749, 750, 751, 753, 755, 757/1, 759, 761, 762, 764, 768, 770, 771, 774, 776, 777, 790, 804/1, किता 25 योग रकबा 22 बीधा 04 बिस्वा का सहखातेदरों के मध्य प्रस्तुत बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय/डिकी की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल–दरामद की कार्यवाही करे। बटवार स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय/डिकी का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 81

दिनांकः– 3-5-2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी तेजपाल कानजी तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत में दिनांक 03.02.2018 .को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा लक्ष्मणपुरा पंचायत समिति डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 60 पर आराजी नं0 822/766 कुल 01 बीघा 05 बिस्वा किता 01 योग रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा .पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेड़े, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी श्री कमलचन्द पिता भेराजी जति मीणा उम्र व्यस्क नि0 लक्ष्मणपुरा ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम लक्ष्मणपुरा .की जमाबंदी सम्वत् 2070–73 खसरा नं0 818/760 रकबा 01 बीघा की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नही किया गया एवं पत्थरगढी हेतु सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा लक्ष्मणपुरा में स्थित खाता संख्या 60 पर आराजी नं.0 822/766. रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 01 की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा लक्ष्मणपुरा मे स्थित खाता संख्या 60 पर आराजी नं.0 822/766 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 01 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, डूंगरपुर संबंधित भू0अ0 निरीक्षक के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्र्टब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू0 900/–प्रार्थी स्वंय राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर